भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 951

दिनांक 05.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल स्रोतों की सततता

951. श्री नरेश गणपत म्हस्केः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) का उद्देश्य वर्ष 2026 तक घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार की जेजेएम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जल स्रोतों की सततता किस प्रकार सुनिश्चित करने की योजना है;

(ग) क्या सरकार ने सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करने में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने जेजेएम को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा (55 एलपीसीडी) में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया, जिसे अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से लागू किया जाना है।

पेयजल राज्य का विषय है, और इसलिए, जेजेएम के तहत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों तक नल जल पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, सूचित किए गए अनुसार, जेजेएम के तहत 12.55 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 28.01.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.79 करोड़ (81.57%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक जारी रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है।

(ख) मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), आरएलबी/पीआरआई को 15वें वित्त आयोग से सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि जैसी अन्य स्कीमों के सामंजस्य में स्रोत पुनर्भरण अर्थात समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का पुनरुद्धार, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग आदि करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान 2019 में देश के 256 जल संकट वाले जिलों में लोगों की भागीदारी से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके अलावा, विशेष रूप से पीने के पानी की उपलब्धता के लिए स्थायी जल प्रबंधन के महत्व को पहचानते हुए, जेएसए-सीटीआर को 2023 में "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" और 2024 में "नारी शक्ति से जल शक्ति" विषय के साथ लागू किया गया था। इसी तरह, जल संरक्षण के क्षेत्र में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए "जल संरक्षण के लिए जन कार्रवाई-गहन सामुदायिक सहबद्धता की ओर" विषय के साथ जेएसए को लागू किया जा रहा है।

इसके अलावा, भूजल संसाधनों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने चार राज्यों नामत: कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में स्रोत सततता पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इस प्रायोगिक अध्ययन के दौरान, सीजीडब्ल्यूबी के अधिकारियों ने अध्ययन क्षेत्रों के सभी गांवों का दौरा किया और बुनियादी क्षेत्र-स्तरीय जानकारी एकत्र की, भूजल की मांग और आपूर्ति घटकों का आकलन किया और

मानसून अपवाह (रनऑफ) उपलब्धता का मूल्यांकन किया। सीजीडब्ल्यूबी ने संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों को स्रोत स्थिरता हस्तक्षेप संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया है ताकि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में इसी तरह के अध्ययन करने में सक्षम हो सकें।

(ग) सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए व्यापक, समुदाय आधारित उपायों को कार्यान्वित किया है, जो भूजल पुनर्भरण और ग्रेवाटर प्रबंधन जैसे अनिवार्य स्रोत सततता घटकों को एकीकृत करता है।

सीजीडब्ल्यूबी सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है, जो इस प्रकार हैं:

- केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड स्थानीय भूजल मुद्दों पर विभिन्न जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी), जन जागरूकता कार्यक्रम (एमएपी), टियर-II और टियर-III कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें स्थानीय जनता को वर्षा जल संचयन तकनीकों और जल संचयन संरचनाओं के संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाता है।
- सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से भूजल प्रबंधन पर स्रोत स्थिरता प्रशिक्षण जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं के संरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की गई है और प्रशिक्षुओं को भी इन संरचनाओं का दौरा करने के लिए ले जाया गया है।
- वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना के तहत प्रत्येक वर्ष समय-समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम (प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और व्यापार मेले आदि) आयोजित किए जाते हैं।

(घ) जल शक्ति मंत्रालय कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) में तेजी लाकर, प्रौद्योगिकी आधारित जल गुणवत्ता निगरानी (2,800+ प्रयोगशालाएं) लागू करके और फील्ड परीक्षण किट (एफटीके) के बारे में 24.8 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देकर जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण स्वच्छ जल चुनौतियों का समाधान कर रहा है। प्रमुख कदमों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को सुदृढ़ बनाना, पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के माध्यम से स्रोत स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

(ङ) जल जीवन मिशन को दिसंबर, 2028 तक जारी रखने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

*****